न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 31/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/102

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री मुकेश/ कस्तुराजी प्रोपराईटर भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री निखिल मालोत अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 25.09.2024 को भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मुकेश/ कस्तुर जी उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	156547 T	18.800	15.800	3.000

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:31:45 IST
Reason: SelfAttested

श्री मुकेश/ कस्तुरजी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कालूसिंह/ वालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री निखिल मालोत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.12. 2024 को अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि प्रार्थी प्रकरण में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। अप्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाकर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लोक अदालत की भावना से फैसल करने बाबत् निवेदन किया। जवाब के साथ ही अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर सुना गया। प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि 25.09.2024 को भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मुकेश/ कस्तुरा जी उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 1 अन्य सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री मुकेश/ कस्तुराजी राजपुत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कालूसिंह/ वालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 01 घरेलु गैस सिलेण्डर भेरवजी फैमेली रेस्टोरेंट, सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:45 IST
Reason: SelfAttested